

0121-2643400(Civil)

Fax : 0121-264418

E-Mail: [cbmeerut@dggest.org](mailto:cbmeerut@dggest.org)

No. R/108/RTI/  
Office of the Chief Executive Officer  
Cantonment Board,  
Govt. of India, Min. of Defence  
Meerut Cantt  
Pin-250001

Dated 29 Apr' 2017.

To,

Shri Shammi Kumar Sachdeva,  
728/6, PL Sharma Road. Meerut.  
Mob – 9761989393.

Subject : **RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005.**

Reference your letter dated 17.04.2017.

The information as asked vide your letter under reference are as under:

1. The information sought by you is not held in/by this office.
2. The information sought by you is not held in/by this office. Moreover, your request is in the form of question. No reply to questions is given under RTI Act.

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER  
CANTT BOARD, MEERUT.

दूरभाष: 0121-2643400(असैनिक)  
फैक्स : 0121-264418  
ई-मेल:cbmeerut@dggest.org

संख्या आर/108/आरटीआईए/107  
कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद्  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
मेरठ छावनी (उ0प्र0)  
पिन : 250001

दिनांक 29 अप्रैल 2017.

सेवा मे,


श्री शम्मी कुमार,  
बी-7, शिवाजी कालोनी,  
मेरठ कैंन्ट।  
मोबाईल-9761989393.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना।

सन्दर्भ : आपके पत्र दिनांक 19.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :

1. छावनी भूमि पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई बूथ अवैध माना जायेगा। चलता फिरता बूथ दैनिक तहबाजारी शुल्क जमा कर व्यापार किया जा सकता है जिसके लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
2. यदि गंगा मोटर कमेटी के पास कोई खोखा है तो उक्त खोखे को हटाने के लिये छावनी अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत कार्यवाही की जा सकती है।
3. यदि कोई स्थायी खोखा बिना अनुमति के लगा पाया जाता है तो क्षेत्रीय जी.आर.एम की रिपोर्ट के आधार पर छावनी अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत कार्यवाही की जा सकती है। क्षेत्रीय जी.आर.एम समय समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के जी.आर.एम श्री दुर्गादास है।
4. आपके द्वारा कथित स्थान पर छावनी परिषद् के अभिलेखों में किसी प्रकार का कोई स्थायी खोखा नहीं है। इसलिये किसी प्रकार के राजस्व की कोई हानि नहीं है। चलते फिरते बूथ हो सकते हैं जिनसे दैनिक तहबाजारी प्राप्त होती है।

  
जनसूचना अधिकारी  
छावनी परिषद्, मेरठ